POSTAL REG. NO. JAIPURCITY/410/2018-20 (RNI. REG. NO 39658/1983) # ग्रा.ग./2019/अंक 03

मासिक प्रेषण दि. 8 मार्च, सी.एस.ओ., आरएमएस गाँधी नगर, जयपुर-15

ग्राम गदर

वर्ष 1983 से प्रकाशित

8 मार्च, 2019 मूल्य 50 पैसे

आपके नाम चिट्ठी

जयपुर से जोग लिखी प्रदीप महता का सबको राम-राम/सलाम! राज्य विधानसभा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लोकसभा चुनाव को देखते हुए फिलहाल 4 माह के लिए लेखानुदान रखा है। लेखानुदान में खासकर, किसानों के कर्ज माफ करने, मुफ्त दवा योजना को मजबूती देने, छात्राओं के लिए निःशुल्क शिक्षा एवं ग्रामीण क्षेत्र में सुविधाओं का विस्तार करने जैसी कई घोषणाएं की हैं।

वहीं लोकसभा में वित्तमंत्री पीयूष गोयल ने केंद्र सरकार के अंतरिम बजट 2019-20 को प्रस्तुत किया। लोकसभा चुनावों और हाल ही सरकार के खिलाफ उपजे किसानों के गुस्से को देखते हुए उन्हें खुश करने के लिए बजट में खेती और किसान को समृद्ध बनाने, आयकर छूट सीमा में बदलाव करने, गांवों में लोगों को घर का सपना दिखाने। प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के तहत लोगों की सेहत सुधारने जैसे अनेक वादे बजट में शामिल किए गए हैं।

मेरा मानना है, कुल मिलाकर जो घोषणाएं की गई है उन्हें वास्तविक रूप से समय पर धरातल पर उतारने के लिए प्रशासनिक एवं ढांचागत सुधार का होना बेहद जरूरी है। नहीं तो ये बजट भी पुरानी कई घोषणाओं व योजनाओं की तरह कागजी पुलिन्दा बन कर रह जाएंगे। जनता का पैसा जो राजकोष में आता है वह बेवजह खर्च नहीं हो, यह सुशासन का मूल मंत्र होना चाहिए।

देखा गया है कि आम ग्रामीणजन बजट के आंकड़ों को सही रूप से समझ नहीं पाते। इसलिए 'ग्राम गदर' में समय-समय पर गांवों से सम्बन्धित बजट घोषणाओं और योजनाओं को सरल व तार्किक रूप में प्रकाशित किया जाता रहेगा, ताकि ग्रामीण इन घोषणाओं के सरकारी अमल पर पैनी नजर रख सके और लाभान्वित हो सकें।

'ग्राम गदर' ग्रामीण पत्रकारिता पुरस्कार, 2018

'कट्स' द्वारा प्रकाशित लोकप्रिय ग्रामीण भित्ती-पत्र 'ग्राम गदर' अपने प्रकाशन के 37 वर्ष पूरे कर रहा है। अतः हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी ग्रामीण संचार के क्षेत्र में लेखन और उत्कृष्ठ पत्रकारिता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 'ग्राम गदर' ग्रामीण पत्रकारिता पुरस्कार हेतु पत्रकार बन्धुओं से प्रविष्टियां आमन्त्रित की जाती हैं।

यह पुरस्कार प्रतिवर्ष समसामयिक मुद्दों पर प्रदान किए जाते हैं। वर्ष 2018 का विषय जिस पर उत्कृष्ठ पत्रकारिता के लिए प्रविष्टियां आमन्त्रित की जा रही हैं, वह है:

'किसानों की स्थिति'

ग्राम गदर ग्रामीण पत्रकारिता पुरस्कार के अन्तर्गत निर्णायक मण्डल द्वारा चुने गये पत्रकार को 10,000 (दस हजार) रुपए का नकद पुरस्कार एवं प्रशस्ति-पत्र से सम्मानित किया जाएगा।

कृपया प्रविष्टियां भेजते समय निम्न उल्लेख/संलग्न अवश्य करें-

- अपना पूरा नाम व पता पिनकोड सहित। ● टेलीफोन/मोबाइल नम्बर।
- पत्रकारिता के लिए जिस समाचार पत्र से जुड़े हैं/थे या स्वतंत्र पत्रकारिता कर रहे हैं तथा कब से (पूर्ण विवरण सहित)।
- वर्ष 2018 के दौरान आपके नाम से विभिन्न समाचार पत्रों में छपे लेख व खबरों की प्रेस कटिंग व अन्य सम्बन्धित दस्तावेजों का संलग्नीकरण।

प्रविष्टियां हमें 31 मार्च, 2019 तक नीचे लिखे पते पर अवश्य भिजवाने का कष्ट करें।

कन्ज्यूमर यूनिटी एण्ड ट्रस्ट सोसायटी (कट्स), डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302 016 (राजस्थान) फोन: 0141-2282821, फैक्स: 0141-2282485, 4015395

'विश्वसनीय हो स्मार्ट उत्पाद'

जैसा कि विदित है 'विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस' प्रति वर्ष 15 मार्च को मनाया जाता है। इस वर्ष उपभोक्ताओं के वैश्विक संगठन 'कन्ज्यूमर इंटरनेशनल' ने 'विश्वसनीय स्मार्ट उत्पाद' विषय पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया है। इसका मकसद उपभोक्ताओं के हक में स्मार्ट उत्पादों को सुरक्षित, न्यायोचित और अधिक उपयुक्त बनाना है। स्मार्ट उत्पादों में उच्च गति वाली इंटरनेट सेवा, स्मार्ट फोन, स्मार्ट टी.वी. जैसे कई उत्पाद प्रचलित हैं जो उपभोक्ताओं के लिए दिन प्रतिदिन की आवश्यकता बनते जा रहे हैं।

प्रदेश की उपभोक्ता संस्थाएं भी इस अवसर पर अपने-अपने क्षेत्र में उक्त विषय पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागृत और सचेत करें। कृपया कार्यक्रम की रिपोर्ट 'ग्राम गदर' को अवश्य भिजवाने का कष्ट करें।

किसानों की झोली खुशियों से भरी

केंद्रीय अंतरिम बजट में प्रधानमंत्री किसान योजना से दो हैक्टेयर भूमि वाले किसान परिवार को सालाना 6000 रुपए की मदद देने का ऐलान किया गया है। यह राशि दो-दो हजार रुपए की तीन किश्तों में मिलेगी। योजना एक दिसंबर 2018 से लागू मानी गई है। पहली किश्त 31 मार्च तक मिल जाएगी। इस योजना में वर्ष 2018-19 के लिए 20 हजार करोड़ व वर्ष 2019-20 के लिए 75 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। प्राकृतिक आपदा पर पीड़ितों को 2 फीसदी और फसल ऋण का समय पर भुगतान करने पर 3 फीसदी छूट दी जाएगी।

राज्य विधानसभा में जुलाई 2019 तक के लिए पारित लेखानुदान में सरकार द्वारा पूर्व में घोषित किसानों की कर्जमाफी योजनाओं को फिर से दुहराते हुए उन्हें पेंशन देने और सहकारिता से जुड़े दुग्ध उत्पादक किसानों को दुग्ध संकलन पर दो रुपए प्रति लीटर की दर से बोनस देकर राहत देने की घोषणा की गई है। कृषि प्रसंस्करण इकाइयों को प्रोत्साहित करने हेतु सरकार नई नीति बनाएगी।

सेहत का ख्याल, नब्ज पर रखा हाथ

केंद्र के बजट में लोगों की सेहत का ख्याल रखते हुए पिछले तीन सालों की तुलना में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी की गई है। पिछले साल जहां 54302.50 करोड़ रुपए का चिकित्सा क्षेत्र के लिए प्रावधान था वह 2019-20 के अंतरिम बजट में 61398.12 करोड़ रुपए कर दिया गया है। अर्थात 7096 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की गई है। प्रभारी वित्तमंत्री पीयूष गोयल ने आयुष्मान योजना का बखान करते हुए बताया कि इससे 10 लाख करोड़ लोगों को लाभ मिल चुका है तथा वित्तीय वर्ष में 50 करोड़ लोगों को इस सुविधा का लाभ मिलेगा।

इधर, प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निःशुल्क दवा योजना में कैंसर, हृदय, गुर्दा रोग व सांस की बीमारियों की सभी दवाओं को शामिल करते हुए कहा है कि इससे बड़ी बीमारियों के इलाज में आमजन को बड़ी राहत मिल सकेगी। निःशुल्क दवा योजना के तहत 600 नए दवा वितरण केंद्र खोलने और प्रदेश में बड़ी संख्या में नई जांच प्रयोगशालाएं स्थापित करने की घोषणा करते हुए कहा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों तक चिकित्सा सुविधाओं को मजबूत बनाया जाएगा।

महिला सुरक्षा व सशक्तिकरण पर फोकस

केंद्र सरकार के 2019-20 के अंतरिम बजट में महिलाओं की सुरक्षा व सशक्तिकरण पर जोर दिया गया है। इस बार महिला सशक्तिकरण व सुरक्षा के लिए कुल 1330 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान रखा गया है। पिछले साल से 174 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च किया जाएगा। महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत दो करोड़ एलपीजी कनेक्शन निःशुल्क बांटे जाएंगे। बाल विकास के लिए भी 4227 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान बजट में है।

प्रदेश में लेखानुदान के अनुसार सरकारी कॉलेज और विश्वविद्यालय में स्नातक और स्नातकोत्तर में अध्ययनरत छात्राओं को अब शिक्षा के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा। इनमें कला, वाणिज्य और विज्ञान संकाय शामिल हैं। नए सत्र से यह प्रभावी हो जाएगा।

मध्यम वर्ग व श्रमिकों को राहत

नौकरीपेशा लोगों को केंद्रीय बजट में बड़ी राहत दी गई है। वेतनभोगी कर्मचारी विभिन्न छूटों का फायदा उठाकर 10.10 लाख रुपए तक की कमाई पर आयकर बचा सकते हैं। इसके अलावा कर्मचारियों की ग्रेच्यूटी लिमिटको डबल कर दिया गया है। ग्रेच्यूटी का भुगतान अधिनियम, 1972 के तहत पहले यह दस लाख रुपए थी जिसे अब बढ़ाकर 20 लाख रुपए किया गया है।

मध्यमवर्ग व छोटे कारोबारियों को भी योजनाओं के तहत लाभ मिलेगा। ऐसे लोगों के लिए अपने घर का सपना साकार करने के मकसद से टैक्स और बैंक ऋणों पर ब्याज दर में राहत दी गई है। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए मेगा पेंशन योजना लाई गई है।

बढ़ते जा रहे हैं खाद्य वस्तुओं में मिलावट के मामले

बाजार में धोखाधड़ी और खाद्य वस्तुओं में मिलावट जैसे मामले बढ़ते जा रहे हैं। पूरी या अधिक कीमत चुकाने के बावजूद ग्राहकों को खराब और मिलावटी वस्तु बेचने के मामले सामने आते रहते हैं। इससे उपभोक्ता के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। मिलावटी पदार्थ के खाने से किसी की जान भी जा सकती है। शिकायत पर उनका लाइसेंस निरस्त हो सकता है।

यदि आप खरीदी गई वस्तु से असंतुष्ट हैं, वस्तु खराब या मिलावटी है, तो आप उपभोक्ता अधिकारों का इस्तेमाल कर उपभोक्ता जिला मंच में बिना वकील की मदद लिए खुद शिकायत कर सकते हैं और हर्जाने की मांग कर सकते हैं। वस्तु की गुणवत्ता में कमी साबित होने पर उपभोक्ता मंच नुकसान की भरपाई करने, अनुचित व्यापार बंद करने और पर्याप्त हर्जाना देने का आदेश दे सकता है। अगर आप जिला मंच के फैसले से संतुष्ट नहीं है तो राज्य आयोग और उसके बाद राष्ट्रीय आयोग में अपील कर सकते हैं। मंच या आयोग का आदेश नहीं मानने पर दोषी को एक माह से लेकर तीन साल तक की कैद या 10 हजार रुपए तक का जुर्माना अथवा दोनो सजाएं हो सकती हैं। अगर मिलावटी सामान से किसी की जान चली जाती है तो उम्रकैद तक की सजा और 10 लाख रुपए तक जुर्माने का प्रावधान है।

दोषयुक्त जेसीबी मशीन बेची, देना होगा सवा लाख रुपए हर्जाना

जयपुर स्थित जमवा रामगढ़ के नेवर गांव निवासी रमेश चन्द मीणा ने राज्य उपभोक्ता आयोग में नेशनल मोटर्स, झोटवाड़ा तथा महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा कन्स्ट्रक्शन इक्यूपमेंट, मुम्बई के खिलाफ अपने वकील के जरिए 21 अप्रेल 2016 को परिवाद दर्ज कराया। उनके वकील ने आयोग को जानकारी दी कि निजी व घरेलू जीविकोपार्जन के लिए रमेश चन्द ने महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा द्वारा निर्मित जेसीबी अर्थमास्टर 30 नवम्बर 2013 को 22 लाख 90 हजार रुपए में झोटवाड़ा स्थित नेशनल मोटर्स से खरीदी थी। कुछ समय तक मशीन मिट्टी खुदाई में तो ठीक-ठाक चली, लेकिन कठोर भूमि पर चलाते ही खराब हो गई। उनसे मशीन ठीक करने व नए पार्टस के नाम पर हजारों रुपए वसूले गए, लेकिन बार-बार सही कराने पर भी मशीन ने कार्य क्षमता के अनुरूप कार्य नहीं किया।

मामले की सुनवाई पर विपक्षी की ओर से कहा गया कि खुदाई के लिए लिया गया पंजा केवल मिट्टी खोदने का था, कठोर व पथरीली जगह के लिए अलग पंजा काम में लेना चाहिए था। आयोग ने अत्यधिक गुणवत्ता वाली मशीन के गारंटी-वारंटी अवधि में ही बार बार खराब होने को सेवा दोष माना। आयोग ने नेशनल मोटर्स तथा महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा कन्स्ट्रक्शन इक्यूपमेंट को आदेश दिया कि वह रमेश चन्द मीणा को सवा लाख रुपए बतौर हर्जाना अदा करें। साथ ही 15 दिन में मशीन की खराबी की विशेषज्ञ से जांच करवाए और निःशुल्क ठीक कराकर सुपुर्द करें।

पांच लाख तक की आय कर मुक्त

मोदी सरकार ने लोकसभा चुनावों को देखते हुए करदाताओं को लुभाने के लिए अंतरिम बजट में पांच लाख रुपए तक की वार्षिक कर योग्य आय वाले करदाताओं को टैक्स में पूरी छूट दी है। अर्थात उन्हें पांच लाख रुपए की कुल आय पर टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन जिनकी पांच लाख रुपए से अधिक आय है तो उन्हें पुराने टैक्स स्लैब के अनुसार आयकर देना होगा।

पांच लाख से ज्यादा वेतन पाने वालों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन 40 हजार रुपए था, इसे बढ़ाकर 50 हजार रुपए किया गया है। बैंक और डाकघर में जमा राशि पर मिलने वाले ब्याज पर टीडीएस से छूट की सीमा भी 10 हजार से बढ़ाकर 40 हजार रुपए कर दी गई है। लोकसभा में वित्तमंत्री पीयूष गोयल ने बजट भाषण में साफ कहा है कि टैक्स में बदलाव के प्रावधान नई सरकार ही लागू करेगी। अर्थात सभी घोषणाएं नई संसद में पास होने के बाद लागू होगी।

गांव होंगे डिजिटल व पंचायतें वाइ-फाइ

केंद्र सरकार ने बजट में पहली बार पशुपालन को बढ़ावा देने और गोवंश संसाधन बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय कामधेनु आयोग बनाने की घोषणा की है। पांच साल में एक लाख गांवों को डिजिटल किया जाएगा। अगले साल ग्राम सड़क योजना के लिए 19 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गांवों में सस्ते घर उपलब्ध कराने के लिए बजट में ज्यादा प्रावधान करते हुए ग्रामीण विकास को हर क्षेत्र में अधिक तवज्जो देने की बात कही गई है।

राजस्थान सरकार ने ग्राम पंचायतों में फ्री इंटरनेट के लिए वाइ-फाइ शुरू करने की घोषणा की है। लेखानुदान में आगामी वर्ष के लिए तीन हजार की वर्तमान संख्या में बढ़ोतरी करते हुए बीस हजार ग्राम पंचायतों को वाइ-फाइ करने की बात कही गई है। गांवों में शुक्ष्म, लघु और मध्यम दर्जे के उद्योगों को ज्यादा तरजीह देने का वादा किया गया है।

'ग्राम गदर' हिन्दी मासिक

फार्म-4 (नियम 8)

'ग्राम गदर हिन्दी मासिक' के स्वामित्व का विवरण और अन्य विशिष्टियाँ जिनका प्रकाशन प्रत्येक वर्ष अन्तिम प्रकाशन दिवस पर करना होता है, निम्नवत है-

1.	प्रकाशन का स्थान	-	जयपुर
2.	प्रकाशन अवधि	-	मासिक
3.	मुद्रक का नाम	-	भालोटिया प्रिन्टर्स, जयपुर
	नागरिकता	-	भारतीय
	क्या विदेशी है	-	नहीं
4.	प्रकाशक का नाम	-	प्रदीप सिंह महता
	नागरिकता	-	भारतीय
	क्या विदेशी है	-	नहीं
	पता	-	डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर-302016
5.	सम्पादक का नाम	-	प्रदीप सिंह महता
	नागरिकता	-	भारतीय
	क्या विदेशी है	-	नहीं
	पता	-	डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर-302016
6.	उन व्यक्तियों के नाम व पते जो समाचार-पत्र के स्वामी हों तथा समस्त पूँजी के एक प्रतिशत से अधिक से साझेदार या हिस्सेदार हों।	-	एक मात्र स्वामी प्रदीप सिंह महता

मैं प्रदीप सिंह महता एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ कि मेरी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार ऊपर दिए गए विवरण सत्य हैं।

प्रदीप सिंह महता
प्रकाशक के हस्ताक्षर

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक स्वत्वाधिकारी प्रदीप एस महता के लिए भालोटिया प्रिन्टर्स, जयपुर से प्रकाशित।

'अक्षत टावर', डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016 फोनः 228 2821 से 23 फैक्सः 0141-228 2485

कम्पोजिंग एवं लेआउट राजकुमार त्रिवेदी, 'कट्स' जयपुर